न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 16/2026

अनवान : –

1. विशाल सिंह पुत्र हजारी सिंह जाति राजपूत निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– प्रार्थी

बनाम

1. महेश कुमार बिश्नोई पुत्र बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी 2 एसएनएन श्रीनगर हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
2. मुकेश त्यागी पुत्र फूलसिंह त्यागी जाति ब्राहम्ण निवासी प्लॉट न0 52 महात्मा गांधी नगर अजमेर रोड़ जयपुर त0 व जिला जयपुर।
3. तहसीलदार/उपपंजीयन राजस्व टिब्बी।

–अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी
श्री संजय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

27/1/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि वर्तमान जमाबन्दी चक 5 जीजीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 203/96 में अप्रार्थी सं0 1 के नाम से 0.759 है० आराजी तथा इसी चक के खाता सं0 96/98 में कुल 0.719 है० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी जो कि पूर्व में मंगलसिह पुत्र हनुमान सिह जाति राजपूत निवासी टिब्बी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी । प्रार्थी व मंगलसिह आपस मे एक ही बिरादरी के है तथा संयुक्त रुप से कार्य करते है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज अप्रार्थी सं० 1 के नाम की चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 203 / 96 में 0.759 है० आराजी तथा इसी चक के खाता सं0 96 / 98 में कुल 0.719 है0 आराजी मंगलसिह द्वारा प्रार्थी को बंटवारा में दी थी जिस पर प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था, लेकिन मंगलसिह ने भूमि अपने नाम से होने का फायदा उठाकर अपने नाम से दर्ज आराजी के साथ साथ मुझ वादी के हक व हिस्सा की आराजी को अप्रार्थी सं0 2 को बैचान कर दी थी व उसके बाद अप्रार्थी सं0 2 ने मंगलसिह के साथ सांठ गांठ करते हुए अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अपने नाम की आराजी अप्रार्थी सं0 1 को बैचान कर दी, जो वर्तमान में अप्रार्थी सं० 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुकी है लेकिन उक्त आराजी पर कब्जा प्रार्थी का ही चला आ रहा है व प्रार्थी ही उक्त आराजी की रकम राज जमा करवाता चला आ रहा है, उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। आज भी मौका पर प्रार्थी की ही फसल काश्त की हुई है । उक्त आराजी की खसरा गिरदावरी जो प्रार्थी के नाम से है जिसकी प्रति तथा मंगलसिह व मुकेश त्यागी के नाम की जमाबन्दीयॉ संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज अप्रार्थी सं0 1 के नाम की आराजी मे से प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

चक व हिस्सा की आराजी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता है। इसलिए प्रार्थी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 203/96 में 0.759 है0 आराजी तथा इसी चक के खाता सं0 96/98 में कुल 0.719 है० आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 203/96 तथा इसी चक के खाता सं0 96/98 में से अप्रार्थी सं० 1 का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे अप्रार्थी सं0 1 के नाम की आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन अप्रार्थी सं० 1 व 2 जो कि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण, प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि को रहन,बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को बार बार ऐलानियां धमकीयॉ दे रहे है कि हम आपकी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करेगें व उक्त भूमि के कब्जा से आपकों जबरन बेदखल कर देवेगें व उक्त भूमि को औने पौने दामों में असामाजिक तत्वों को बैचान कर देवेगें, अगर अप्रार्थीगण अपने इस गलत व विधि विरूद्व कृत्य में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी को नाहक ही मुकदमा बाजी में उलझना पड़ेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है । ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं० 1 अपने नाम से दर्ज चक 5 जीजीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 203/96 में अंकित 0.759 है० आराजी तथा इसी चक के खाता सं0 96ध98 में कुल 0.719 है0 आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने करने तथा मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थी को कब्जा से बेदखल करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित तथ्य कतई गलत अंकित किये अस्वीकार नही । चक नं0 5 जीजीआर के खाता सं0 203/ 96 मं कुल 0.759 है0 व इसी चक के खाता सं0 96/98 में कुल .791 है० आराजी मुझ अप्रार्थी सं० 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी का अप्रार्थी सं० 1 एकल खातेदार काश्तकार है ।

प्रार्थी द्वारा यह तथ्य कतई गलत अंकित किया है कि प्रार्थी को मंगलसिह ने बंटवारा में दी हो क्योंकि मंगलसिह अपना हिस्सा पूर्व में ही बैचान कर चुका है अगर प्रार्थी व मंगलसिह के बीच कोई बंटवारा होता तो प्रार्थी मंगलसिह के विरूद्ध वाद पेश करता जबकि प्रार्थी ने मंगल सि हके विरूद्ध आज तक कोई वाद पेश नहीं किया है मिन अप्रार्थी सं० 1 द्वारा उक्त आराजी प्रतिफल देकर जरिये पंजीबद्ध बैयनामा खरीद की है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा निहित नही रहा है। मिन अप्रार्थी का कब्जा खरीद के दिन से चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है स्वीकार नही । प्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार नही है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही । प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित आराजी मिन अप्रार्थी सं० 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है प्रार्थी खातेदार काश्तकार यानि मिन अप्रार्थी सं० 1 के खिलाफ किसी भी प्रकार के अनुतोष या अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है । विधि का यह सिद्वान्त है कि खातेदार काश्तकार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी वही की 3 जा सकती । प्रार्थी ने न्यायालय को मुगालता मे रखकर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है जो न्यायोचित नही है । अप्रार्थी सं० 1 एकल खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही हो रही है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही । चक नं0 5 जीजीआर के खाता सं0 203 / 96 मं कुल 0.759 है0 व इसी चक के खाता सं0 96 / 98 में कुल .791 है० आराजी अप्रार्थी सं० 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी का अप्रार्थी सं० 1 एकल खातेदार काश्तकार है । प्रार्थी द्वारा यह तथ्य कतई गलत अंकित किया है कि प्रार्थी को मंगलसिह ने बंटवारा में दी हो क्योकि मंगलसिह अपना हिस्सा पूर्व में ही बैचान कर चुका है। उक्त भूमि में मुझ अप्रार्थी का किसी प्रकार से कोई हक व हिस्सा निहत नही है । मुझ अप्रार्थी 0 2 ने अपने हिस्सा की आराजी को जरिये बैयनामा अप्रार्थी सं0 1 को बैचान कर दी है जो राजस्व रिकार्ड में उसके नाम से दर्ज हो चुकी है जिस पर अप्रार्थी सं0 1 का ही कब्जा बैयनामा के रोज से चला आ रहा है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है स्वीकार नही। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है । 5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही । प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित आराजी अप्रार्थी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।प्रार्थी, अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी भी प्रकार के

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

नुतोष या अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है । प्रार्थी ने न्यायालय को गालता मे रखकर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है जो न्यायोचित नही है प्रथम दृष्टया ामला व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही हो रही है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त आराजी प्रतिफल देकर जरिये पंजीबद्ध बैयनामा खरीद की हैं। अप्रार्थी सं 01 वर्तमान में रिकोर्डेड खातेदार है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का न होकर अप्रार्थी के पक्ष में साबित है। किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर वह अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित रहने के कारण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इस प्रकार अप्रार्थीगण वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में खातेदार दर्ज है जिन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/12/26.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़